

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी:—श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 ग्राम—थापन

राजस्व आवेदन संख्या :-255/2025

प्रार्थी:—

अर्जुनसिंह पुत्र धोकसिंह जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा तहसील  
सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी:—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना
  2. जसराजसिंह पुत्र धोकसिंह
  3. जोगराजसिंह पुत्र धोकसिंह
  4. पुखराजसिंह पुत्र धोकसिंह
  5. भीमसिंह पुत्र सवाराम
  6. आसूसिंह पुत्र सवाराम
  7. वालसिंह पुत्र सवाराम
  8. नेनसिंह पुत्र सवाराम
- जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम  
1956

उपस्थित:—श्री श्रवण जांगीड़  
प्रार्थी वकील

—:: आदेश ::—

दिनांक :-18.09.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1151 व 1192 रकबा क्रमशः 03.7789 व 03.2984 हैक्टियर ग्राम थापन तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काशत करता आ रहा हैं। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात—यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, व ग्राम पंचायत इन्द्राणा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उसका वास्तविक नाम अर्जुनसिंह पुत्र धोकसिंह ही अंकित है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम अर्जुनसिंह पुत्र धोकसिंह के स्थान पर अर्जुनराम पुत्र धोकाराम लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक—भू.अ./ग्रा.से.शि./थापन/2025/03 दिनांक 18.09.2025 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, व ग्राम पंचायत इन्द्राणा द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किये।



उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)



दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि उनका वास्तविक नाम अर्जुनसिंह पुत्र धोकसिंह है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का त्रुटिवश नाम अर्जुनराम पुत्र धोकाराम लिख दिये जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, व ग्राम पंचायत इन्द्राणा द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में उनका नाम अर्जुनसिंह पुत्र धोकसिंह दर्ज है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम अर्जुनसिंह पुत्र धोकसिंह होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम थापन तहसील सिवाना की खसरा संख्या 1151 व 1192 रकबा कमशः 03.7789 व 03.2984 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम 'अर्जुनराम पुत्र धोकाराम' के स्थान पर 'अर्जुनसिंह पुत्र धोकसिंह' दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 18.09.2025 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 ग्राम थापन में सरे आम सुनाया गया।



(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)  
उपखण्ड अधिकारी  
(सिवाना) (बालासरा)